पत्रांक–04 / RAY–31 / 14..... न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

नरेन्द्र कुमार सिंह, भा.प्र.से.,
अपर सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

श्री आई0पी0 गुप्ता,
परामर्शी,
Saryu Babu Engineers for Resource Development,
112, Gandhi Nagar, West Boring Canal Road, Patna - 800001

पटना, दिनांक– .....

विषयः– **SLTC का कार्य बिना किसी पूर्व सूचना के छोड़ देने से संबंधित आपके द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा के संबंध में।**

प्रसंगः– आपका पत्रांक–SbengRed-50/17 दिनांक–20.03.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा का विन्दुवार समीक्षा विभाग द्वारा किया गया, जो निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	कारण पृच्छा का विन्दु	आपके द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा	समर्पित कारण पृच्छा पर विभाग का मंतव्य
1	1. आपके परामर्शी संस्था **SbengRed** को राजीव आवास योजना के अधीन **SLTC** का कार्य करने का एकरारनामा किया गया जिसका अवधि 06.06.2014 से 31.03.2022 तक निर्धारित था।	1. हमारी संस्था द्वारा राजीव आवास योजना के अधीन SLTC का कार्य करने का एकरारनामा किया गया जिसका अवधि 06.06.2014 से 31.03.22 तक निर्धारित था, जो केवल उक्त योजना के लिए था। आपके पत्रांक 3766 दिनांक 21.08.2015 द्वारा राजीव आवास योजना के अधीन गठित SLTC की सेवा HFA योजना में जारी रखने के संबंध में हमसे सहमति की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में पत्रांक 219 / 15 दिनांक 22.08.15 द्वारा सहमति के साथ–साथ कर्मियों की संख्या 6 से 10 करने हेतु हमारी तरफ से पत्र दिया गया, लेकिन डेढ साल के उपरांत भी इस पर विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया।	**विन्दु (1) एवं (2)** आपके संस्था SbengRed को राजीव आवास योजनान्तर्गत SLTC का कार्य दिया गया था, जिसका मिशन अवधि 2022 तक था। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजना अप्रैल, 2015 से बन्द कर दिया गया है तथा उसी मिशन अवधि के लिए "सबके लिए आवास (शहरी) योजना" जून, 2015 से प्रारंभ किया गया। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक N-11011/30/2015-HFA-3/FTS13334 दिनांक 03.08.2015 में वर्णित प्रावधान के आलोक में आपसे सहमति प्राप्त करके एकरानामा के कंडिका–3.1 में वर्णित प्रावधान के अनुसार SLTC को सबके लिए आवास (शहरी) योजना (HFA) में Continue किया गया। उल्लेखनीय है कि राजीव आवास योजनान्तर्गत सिर्फ पाँच नगर निकायों में परियोजना की स्वीकृति आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में दी गई थी। वर्ष 2015 से यह

	2. आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2015 से राजीव आवास योजना को बंद कर दिया गया। उसके स्थान पर सबके लिए आवास योजना (HFA) जून, 2015 से प्रारंभ किया गया जिसका मिशन अवधि भी 31.03.2022 तक है। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक N-11011/30/2015-HFA-3/FTS 13334 दिनांक 03.08.2015 के अनुसार राजीव आवास योजनान्तर्गत पूर्व से गठित SLTC से ही सबके लिए आवास योजनान्तर्गत Continued कराये जाने का प्रावधान के आलोक में विभागीय पत्रांक 3766 दिनांक 21.08.15 द्वारा राजीव आवास योजना के अधीन गठित SLTC की सेवा HFA योजना में जारी रखने के संबंध में आपकी सहमती की मांग की गयी थी जिसके आलोक में आपके पत्रांक 219/15 दिनांक 22.08.15 द्वारा इस संबंध अपनी सहमती दी गयी तथा आपके संस्था द्वारा सबके लिए आवास योजना का कार्य प्रारंभ किया गया।	**2.** आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक N-11011/30/2015-HFA-3/FTS 13334 दिनांक 03.08.2015 के अनुसार राजीव आवास योजनान्तर्गत पूर्व से गठित SLTC से ही सबके लिए आवास योजनान्तर्गत Continue कराये जाने का प्रावधान के आलोक में आपके पत्रांक 3766 दिनांक 21.08.15 द्वारा राजीव आवास योजना के अधीन गठित SLTC की सेवा HFA योजना में जारी रखने के संबंध में हमसे सहमति की मांग की गयी थी। जिसके आलोक में पत्रांक 219/15 दिनांक 22.08.15 द्वारा इस संबंध में अपनी सहमती के साथ–साथ कर्मियों की संख्या 6 से 10 करने हेतु हमारी तरफ से पत्र दिया गया था। डेढ़ साल के उपरांत भी इस पर विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार HFA योजना में SLTC कर्मियों का वेतन 85,000.00 रुपये प्रति कर्मी की दर से भुगतान का प्रावधान है, जबकि हमारी संस्था को पूर्व निर्धारित दर से ही विभाग द्वारा भुगतान किया जाता रहा है। RAY के अधीन गठित SLTC को HFA योजना में Continue नहीं किया गया और न ही इस संबंध में विभाग द्वारा कोई पत्राचार किया गया। फिर भी विभाग हित एवं राज्य हित को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था लगातार अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करती रही।	योजना बन्द हो जाने के कारण इस योजनान्तर्गत अन्य नगर निकायों में परियोजना की स्वीकृति आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नहीं दी जा सकी। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जून, 2015 से नयी योजना सबके लिए आवास (शहरी) योजना प्रारंभ किये जाने पर इस योजनान्तर्गत परियोजना की स्वीकृति दी जाने लगी। उल्लेखनीय है कि राजीव आवास योजना एवं उसके स्थान पर लाया गया सबके लिए आवास (शहरी) योजना शहरी गरीबों के लिए आवास का योजना है तथा राजीव आवास योजनान्तर्गत गठित SLTC से सबके लिए आवास (शहरी) योजना का कार्य लिये जाने का प्रावधान है। तद्नुरूप आपके सहमति से आपके संस्था से SLTC का कार्य किया जाता रहा। यदि आपने सहमति न दी होती तो राजीव आवास योजनान्तर्गत सिर्फ पाँच नगर निकायों में स्वीकृत छः सदस्यीय SLTC को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं था। जहाँतक SLTC को छः से दस सदस्यीय नहीं किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में आपको स्पष्ट किया जा चुका है कि वर्तमान में सबके लिए आवास (शहरी) योजना के चार घटकों में सिर्फ एक घटक Beneficiary Led Construction (BLC) ही विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। In Situ Redevelopment तथा Affordable Housing घटक के लिए विभाग द्वारा Policy बनाया जा रहा है, जो प्रक्रियाधीन है। भविष्य में अन्य घटकों के कार्य प्रारंभ होने पर SLTC के कर्मियों की सं0 छः से दस सदस्यीय करने का विभाग का कार्य योजना प्रस्तावित है। आपने इसका इंतजार नहीं किया। आपने उल्लेख किया है कि आपको प्रति कर्मी को 75000.00 (पचहत्तर हजार रु0 मात्र) प्रति माह के रुप में भुगतान किया गया, जबकि सबके के लिए आवास योजना में प्रति कर्मी 85000.00 (पचासी हजार रु0 मात्र) रुपये की दर से भुगतान का प्रावधान है। इस संबध में स्थिति यह है कि आपको प्रति कर्मी 75000.00 (पचहत्तर हजार रु0 मात्र) रुपये के अतिरिक्त 10% Administrative Charges के लिए तथा

			Support Cost के साथ **कुल 786500.00** (सात लाख छियासी हजार पांच सौ रु0 मात्र) रुपये प्रति माह के रुप में भुगतान प्रावधानित है। जबकि **सबके के लिए आवास योजना में** प्रति कर्मी **85000.00** (पचासी हजार रु0 मात्र) रुपये की दर छः कर्मियों के लिए आपको **510000.00 (पाँच लाख दस हजार)** रुपये का भुगतान होता। विदित हो कि HFA योजना में 85000.00 (पचासी हजार रु0 मात्र) प्रति कर्मी का दर अधिकतम है। अतः यह कहना कि SLTC कर्मी के 6–10 नहीं किये जाने तथा प्रति कर्मी 85000.00 रुपये प्रति कर्मी का भुगतान नहीं किये जाने में आपका नुकसान हुआ है, सही नहीं है। अतः विन्दु (1) एवं (2) पर प्रस्तुत कारण पृच्छा स्वीकार करने योग्य नहीं है।
2	**3.** प्रासंगिक पत्र में आपने **Scope of Work** का उल्लेख करते हुए अधिक कार्य करने का विवरण दिया है। इस संबंध में कहना है कि आपने सिर्फ एकरारनामा में अंकित **Scope of Work** का उल्लेख किया है। आपने एकरारनाम के रुप में संलग्न **Terms of Reference (ToR)** जो एकरारनामा का अंग है, में **SLTC** कर्मियों के लिए अंकित **Scope of Work** के अंतिम कंडिका **Any other related tasks that may be entrusted upon by the head of technical Cell at state level** के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विदित हो कि **ToR** में **SLTC** कर्मियों द्वारा सभी कार्य एकरारनामा के शर्त के अनुरुप **Scope of Work** के परिधि में आता है। अतः यह कहना कि आपके द्वारा **Scope of Work** से अधिक कार्य किया	**3.** उपरोक्त जवाब से स्पष्ट है कि पूर्व में गठित SLTC-RAY को SLTC-HFA में convert नहीं किया गया है, अतः एकरारनामा में वर्णित Scope of Work एवं Terms of Reference (ToR) के अनुसार केवल राजीव आवास योजनान्तर्गत कार्यों को ही SLTC-RAY कर्मियों के द्वारा कराये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार जो भी कार्य HFA योजनान्तर्गत SLTC-RAY के कर्मियों द्वारा किया गया है, वह कार्य Scope of Work के परिधि से बाहर है। इस संबंध में विभाग द्वारा अन्य कोई राशि भी हमारी संस्था को भुगतान नहीं गयी है। RAY के Professionals तथा HFA के Professionals के लिए ToR अलग–अलग है।	<u>विन्दु (3) एवं (4)</u> एकरारनामा के रूप में संलग्न Terms of Reference जो एकरारनामा का अंग है, में SLTC कर्मियों के लिए वर्णित Scope of work के अंतिम कंडिका "Any other related tasks that may be entrusted Upon by the head of technical Cell at state level " के अनुसार SLTC द्वारा किये सभी कार्य Scope of work के परिधि में आता है, क्योंकि SLTC कर्मियों द्वारा किये गये सभी कार्य आवास योजना से ही संबंधित है। विदित हो कि SLTC का गठन आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए किया गया था। राजीव आवास योजना बंद होने के बाद आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवास की नई योजना सबके के लिए (शहरी) योजना प्रारंभ हुआ। यदि यह योजना प्रारंभ नहीं होता तो आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजना के अन्तर्गत नगर निकायों में आवास स्वीकृत होता जिसका कार्यान्वयन SLTC द्वारा किया जाता। चूंकि SLTC कर्मियों द्वारा किये गए सभी कार्य आवास योजना से संबंधित है। इस प्रकार SLTC कर्मियों द्वारा किया गया सभी कार्य Scope of Work के परिधि में आता है। अतः बिन्दु–03 एवं 04 पर कारण पृच्छा स्वीकार योग्य नही है।

	गया है, सही नहीं है। 4. उल्लेखनीय है कि सबके लिए आवास (शहरी) योजना की मार्गदर्शिका एवं अन्य प्रावधान के अनुसार राज्य में 5–10 सदस्यीय SLTC गठित करने का प्रावधान है। विदित हो कि राज्य में वर्तमान में HFA के चार घटकों में से सिर्फ एक घटक **Beneficiary lead Construction (BLC)** कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अन्य घटक **In situ slum Re-development** तथा **Affordable Housing** के लिए **Policy** बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। राज्य में इसका **policy** नहीं रहने के कारण सबके लिए आवास योजना के दो महत्वपूर्ण घटक का कार्यान्वयन राज्य में अभी नहीं हो रहा है। फलस्वरुप कम काम को देखते हुए पूर्व से गठित छह सदस्यीय SLTC में सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाया गया। भविष्य में कार्य की अधिकता होने पर SLTC में चार सदस्यों को बढ़ाकर 10 सदस्य करने की विभागीय कार्य योजना प्रस्तावित है।	4. सबके लिए आवास (शहरी) HFA योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार SLTC एवं CLTC का गठन Prerequisite प्रावधान है। यानि HFA का कार्य प्रारंभ करने से पहले इसका गठन हो जाना है। दूसरी तरफ SLTC-RAY के छः कर्मियों से IHSDP के अन्तर्गत 32 परियोजनाएं एवं राजीव आवास योजनान्तर्गत 7 परियोजनाएं की समीक्षा अथवा योजना से संबंधित कार्यों का संपादित हो रहा है, जबकि HFA के अन्तर्गत सभी 142 नगर निकायों में कार्य संपादित हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य का दायरा कई गुणा बढ़ गया है कि यानि छः सदस्यीय SLTC-RAY ही IHSDP, RAY एवं 142 नगर निकायों में संचालित HFA का कार्य संपादित कर रही है।	
3	5. आपके प्रासंगिक पत्र में विभाग में अबतक भुगतान लंबित रहने का उल्लेख करते हुए एकपक्षीय ढंग से 24.02.2017 से SLTC द्वारा काम बंद कर दिया गया जबकि विभाग में विगत दो माह से आपका कोई विपत्र भुगतान के लिए	5. हमारी संस्था को SLTC का कार्य करने के विरुद्ध एकरारनामा के अनुसार निर्धारित समय में विभाग द्वारा राशि का भुगतान किया जाना है। हमारे द्वारा 18 महीनों से बकाये राशि की मांग की जा रही है, जिसमें से माह, जनवरी 2017 में आंशिक राशि दी गयी। शेष राशि अभी तक अप्राप्त है।	<u>विन्दु (5) एवं (6)</u> आपके द्वारा प्रस्तुत सभी विपत्रों का भुगतान विभाग द्वारा किया जा चुका है। वर्तमान में कोई विपत्र भुगतान के लिए लम्बित नहीं है। Support Cost के रूप में Vechile on hire मद में प्रावधानित राशि के विरूद्ध आपके द्वारा भाड़े पर किये गये वाहन से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण इस मद में कटौती कर भुगतान किया जा चुका है। SLTC के सभी Professionals को विभाग में बैठने का निदेश तत्कालिन प्रधान सचिव द्वारा दिया गया। तदनुसार सभी

	लंबित नहीं है। विभाग द्वारा माह नवम्बर, 2016 तक का भुगतान आपको किया जा चुका है। इसके बाद आपके द्वारा कोई विपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। **6. पूर्व में आपके द्वारा प्रस्तुत विपत्रों का भुगतान विभाग द्वारा किया जा चुका है। Supporting Cost के रुप में यथा Vechile on Hire मद में भाड़ा पर लिए गए वाहन का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने तथा SLTC के कर्मियों को विभाग में बैठने का जगह उपलब्ध करा दिए जाने के बावजूद कार्यालय किराया के विरुद्ध अधिक राशि का विपत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रसतुत विपत्र में से आवश्यक कटौती करके आपको भुगतान किया जा चुका है तथा वर्तमान में आपका कोई विपत्र भुगतान के लिए लंबित नहीं है।**	**6.** पूर्व में विभाग द्वारा एकरारनामा के अनुरुप भुगतान किया जाता रहा है। हमारे द्वारा Vechile on Hire का साक्ष्य विभाग को सौंपा गया है। विभाग से संबंधित सारे कार्य चाहे नगर निकाय का दौरा हो या मंत्रालय आने–जाने से संबंधित कोई कार्य हमलोग करते आ रहे हैं। इसके लिए हमलोगों ने कभी अतिरिक्त Reimbursement की मांग नहीं की है। हमारे द्वारा एकरारनामा के अनुसार विभाग को विपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके विरूद्ध वांछित राशि अबतक अप्राप्त है। विभाग द्वारा कार्यालय किराया में कटौती की गयी है, जबकि विभाग द्वारा बैठने का जगह उपलब्ध कराने संबंधित कोई पत्र हमें प्राप्त नहीं है।	कर्मियों द्वारा विभाग में बैठने की व्यवस्था माह जनवरी, 2016 से करा दी गई तथा SLTC कर्मियों द्वारा प्रशाखा में संधारित उपस्थिति पंजी में माह जनवरी, 2016 से उपस्थिति दर्ज कराया गया है। अतः मकान भाड़ा के विरूद्ध समर्पित विपत्र से कटौती कर के आपको भुगतान किया जा चुका है। SLTC कर्मियों को विभाग में बैठने की सूचना आपको थी साथ ही SLTC कर्मियों द्वारा इसका अनुपालन भी किया गया है। उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा विपत्र समय पर समर्पित नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में भी माह नवम्बर, 2016 के बाद से आपके द्वारा कोई विपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। आपके द्वारा विभागीय कार्यों के लिए किये गये यात्राओं के संबंध में कोई यात्रा विवरणी का विपत्र साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में यदि भुगतान का कोई दावा हो तो उसके विरूद्ध विपत्र आपके द्वारा नहीं दिया गया है। भविष्य में आपके द्वारा इस संबंध में साक्ष्य सहित विपत्र प्रस्तुत करने पर विभाग उसके भुगतान पर विचार करेगा। अत : बिन्दु–05 एवं 06 पर प्रस्तुत कारण पृच्छा स्वीकार करने योग्य नही है।
4	**7.** आपके द्वारा बिना DPR बनाये इसके भुगतान का दावा करना भ्रामक तथ्यों से परे एवं हास्यास्पद है।	**7.** HFA योजनान्तर्गत SECC 2011 के अनुसार लाभुकों की सूची एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की गयी है। उक्त सभी कार्य हमारी संस्था द्वारा किया गया है, जिसका प्रमाण प्रतिवेदन में संलग्न Design, Drawing एवं Estimate जो हमारी संस्था SbengRed के नाम से जमा किया गया है।	<u>बिन्दु (7)</u> सबके लिए आवास (शहरी) येाजना के BLC घटक में बनाये गये DPR में डिजाईन, ड्राईंग तथा स्टीमेट विभागीय अभियंत्रण कोषांग द्वारा SLTC कर्मी के सहयोग से तैयार किया गया है। उस पर आपके संस्था SbengRed का लोगो लगा देना एकरारनामा के कंडिका–07 का उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि एकरारनामा की कंडिका–07 – **Ownership of Material** में वर्णित प्रावधान "Any Studies, reports or other material, Graphic, software or otherwise, Prepared by the Consultant for the Client under the Contract shall belong to and remain the property of the Client". के अनुसार SLTC द्वारा तैयार किया गया सभी सामग्रियों पर विभाग का

			स्वामित्व है। अतः विन्दु 7 पर प्रस्तुत कारण पृच्छा स्वीकार योग्य नहीं है।
5	8. आपके द्वारा SLTC से माह सितम्बर, 2016 से ही एक कर्मी तथा जनवरी, 2017 से दो कर्मियों को बिना सूचना के हटा दिया गया तथा इसके स्थान पर दूसरे कर्मी को उपलब्ध नहीं कराया गया। 9. आपने पूर्व में कोई सूचना दिए बिना दिनांक 23.02.2017 को पत्र देते हुए अगले दिन से काम बंद कर दिया गया। 10. आपने विभाग को किये गए कार्यों से संबंधित कोई अभिलेख/प्रतिवेदन इत्यादि का Soft copy एवं Hard copy उपलब्ध नहीं कराया गया।	8. हमारे द्वारा लिखित एवं मौखिक रुप में विभाग को सूचित किया गया है कि वांछित राशि के आभाव में कर्मी कार्य करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। फिर भी हमने अपने स्तर से माह सितम्बर, 2016 में छोड़े गए कर्मी को दुबारा माह दिसम्बर, 2016 में पुनः बुलाया। यदि वांछित राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता तो ये विपरीत परिस्थिति बनती ही नहीं और अभी भी हमारे Professionals विभाग में कार्यरत हैं। 9. हमारे द्वारा लिखित एवं मौखिक रुप मे विभाग को सूचित किया गया है कि वांछित राशि के आभाव में कर्मी कार्य करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन उक्त समस्या पर विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। हमारे द्वारा पत्र दिए जाने के बावजूद लगातार विभाग हित में कार्य किये जाते रहे हैं और अभी भी हमारे Professionals विभाग में कार्यरत हैं। एकरारनामा में समय सूचना देने का कोई जिक्र नहीं है। 10. चूंकि हमारे Professionals BUDA में ही रहकर कार्य संपादित करते हैं और सारे अभिलेख BUDA में ही संरक्षित हैं। फिर भी विभाग को ऐसा लगता है कि कोई प्रतिवेदन उपलब्ध कराना है तो वांछित कागजात हमलोग उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं।	**<u>विन्दु (8), (9) एवं (10)</u>** पूर्व के कंडिकाओं पर स्पष्ट किया जा चुका है कि आपका कोई भी विपत्र भुगतान के लिए विभाग में लंबित नहीं है। विदित हो कि आपके पत्रांक 17/17 दिनांक 10.02.2017 के द्वारा श्री सुरजीत के प्रतिस्थानी को शीघ्र नियुक्त करने की सूचना विभाग को दी गयी, परन्तु इसके स्थान पर आपने बिना पूर्व किसी सूचना के दिनांक 23.02.2017 के अपराह्न में पत्र देकर दिनांक 24.02.2017 से SLTC कार्य करना बंद कर दिया। उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा सबके लिए आवास (शहरी) योजनान्तर्गत BLC घटक का प्रस्ताव आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के माह मार्च, 2017 में होने वाले CSMC के बैठक में स्वीकृति हेतु भेजा जाना था, जिसकी जानकारी आपको पूर्व से थी, परन्तु आपके द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के दिनांक–23.02.2017 के अपराह्न में पत्र देकर दिनांक–24.02.2017 से कार्य बन्द कर दिये जाने तथा SLTC कर्मियों के नही आने के कारण कार्य बाधित हो गया, फलस्वरूप सबके लिए आवास (शहरी) योजनान्तर्गत BLC घटक में विभाग द्वारा 140 नगर निकायों में से सिर्फ 31 नगर निकायों का प्रस्ताव ही भारत सरकार को भेजा जा सका। आपके इस रवैये से विभाग एवं राज्य को काफी क्षति हुआ है। आपके संस्था के कर्मी वर्तमान में विभाग में कार्यरत है, यह कहना सत्य से परे है। वास्तविक स्थिति यह है कि श्री मुकेश कुमार एवं श्री श्याम कुमार यादव द्वारा आपके संस्था से त्याग पत्र देकर विभाग को अपनी सेवा प्रस्तुत करने का लिखित सहमति के साथ अभ्यावेदन दिनांक–10.03.2017 को दिया गया, जिसे विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत कार्यहित में नये SLTC के गठन होने तक 16.05.2017 के प्रभाव से दो माह के लिए कार्य पर रखा गया है। आपके संस्था का कोई भी कर्मी विभाग में कार्यरत नहीं है। अतः बिन्दु–08, 09 एवं 10 पर प्रस्तुत कारण पृच्छा स्वीकार करने योग्य नही है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपने जानबूझ कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय विभाग पर अनावश्यक दवाब बनाने तथा सौदेवाजी करने के नियत से बिना किसी पूर्व सूचना के दिनांक–23.02.2017 के अपराह्न में पत्र देकर दिनांक–24.02.2017 से SLTC का कार्य बन्द कर दिया गया, जिसके कारण विभाग तथा राज्य को काफी नुकसान हुआ है।

विभाग द्वारा सबके लिए आवास (शहरी) योजनान्तर्गत BLC घटक में माह मार्च, 2017 में होने वाले आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार की CSMC की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा जाना था, इसकी जानकारी आपको तथा SLTC कर्मियों को थी, फिर भी आपने जान–बुझकर सौदेबाजी करने के नियत से विभाग पर दवाब बनाने के लिए यह कार्य किया, फलस्वरूप आपके असहयोग्यात्मक रवैया के कारण 140 नगर निकायों में से सिर्फ 31 नगर निकायों का प्रस्ताव ही दिनांक–21.03.17 को निर्धारित CSMC की बैठक में स्वीकृति के लिए भेजा जा सका। जिसके कारण विभाग तथा राज्य को काफी नुकसान हुआ है।

उल्लेखनीय है कि एकरारनामा के कंडिका (7) Ownership of Material में वर्णित प्रावधान के अनुसार SLTC कर्मियों द्वारा किये गये सभी कार्यों, सभी Material, Graphic, Software सभी प्रकार के प्रतिवेदन, योजनाओं का मासिक प्रगति प्रतिवेदन, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी अभिलेखों एवं कागजातों का सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी पर विभाग का स्वामित्व है परन्तु आपके द्वारा सभी अभिलेखों/कागजातों को विभाग को सुपूर्द नहीं किया गया है, जो एकरारनामा की शर्त्तों का उल्लंघन है। अतः आपको आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर वांछित सभी अभिलेखों/कागजातों का सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी प्रशाखा के सहायक को सौंप दें।

वर्णित परिस्थिति में परामर्शी संस्था Saryu Babu Engineers for Resource Developement के साथ एकरारनामा को जारी रखना कार्यहित एवं विभागीय हित में नहीं है। अतः एकरारनामा के कंडिका 11.1 के आलोक में संस्था द्वारा SLTC का कार्य बन्द करने की तिथि 24.02.17 के प्रभाव से एकरारनामा को रद्द किया जाता है। साथ ही इस परामर्शी संस्था को विभाग एवं विभाग के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों की निविदा में भाग लेने से तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। इसका आशय निम्नवत् होगा :–

"Any company / Firm / Business / Organisation in which Saryu Babu Engineers for Resource Developement is directly or indirectly involved / Interested or associated either itself or through any of its present members / Employees, whether in the capacity of shareholder / Director / Limited Liability Partnership / Partnership firm / Proprietorship / Employee / Member will be debarred in future in participating in tendering process of Urban Development & Housing Department and all offices / Organisation within its superintendence & control".

विभाग में वर्तमान में आपका कोई विपत्र लंबित नहीं है। साक्ष्य सहित विपत्र प्राप्त होने पर विभाग इसपर विचार करेगी।

विश्वासभाजन,

ह0/–

अपर सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक 890 /न.वि.एवं.आ.वि., पटना, दिनांक 21/3/17

प्रतिलिपि– सभी नगर आयुक्त, नगर निगम / नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद / नगर पंचायत / महाप्रबंधक, BUIDCO / BRJP / बिहार राज्य आवास बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/17

अपर सचिव–सह–निदेशक